निगरानी / टीए/665/ 2005 / झालावाड
भंवरलाल बनाम सीताराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
23-12-25	**एकल-पीठ** **श्री अजीत सिंह राजावत, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1- हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा-230 के अंतर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-12-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2- निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 1 बीघा में से 05 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीदी थी। इस लिखित दस्तावेज में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की प्रार्थी संख्या 01 द्वारा कोई रास्ता नहीं दिया गया था किन्तु अप्रार्थी संख्या 02 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् खुलवाये जाने रास्ता का नायब तहसीलदार सुनेल, के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर कार्यवाही करते हुये नायब तहसीलदार ने दिनांक 20-12-2000 को सुखाधिकार के तहत मानते हुये रास्ता देने एवं किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करने के आदेश पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण ने न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। न्यायालय जिला कलेक्टर, झालवाड़ ने भी सुखाधिकार मानते हुये प्रार्थीगण की अपील दिनांक 29-12-2004 को खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	

	3- विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस निगरानी में सुनी गई। 4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी भंवरलाल आत्मज नन्दा दांगी से ग्राम गरदनखेड़ी तहसील पिडावा की आराजी खसरा नम्बर 313 रकबा 01 बीघा में से 05 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र क्रय की गई हे इस विक्रय पत्र में रास्ते के बाबत कोई बात अंकित नही की गई थी और न कोइ रास्ता दिया गया था। अप्रार्थी 1 व 2 द्वारा जो रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह पुश्तैनी रास्ता नहीं होने से सुखाचार की जद में नहीं आता है एक ही खसरा नम्बर पर सुखाधिकार प्राप्त नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जो नया रास्ता दिया गया है वह विधिविरूद्ध है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात को नजरअदांज किया कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत किया गया है जिसका उन्हे अधिकार ही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को नियमान्तर्गत नोटिस भी नहीं दिये गये है और न सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस बात ओर ध्यान नहीं दिया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के पैरा 2 में स्पष्ट प्रावधान हे कि यदि सुखाधिकार के लिये कोई रिलीफ चाहता है तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में नियमित प्रस्तुत करना होगा इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिविरूद्ध आदेश हैं अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।	

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर उस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

7- पत्रावली के अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण सीताराम पुत्र रामसिंह दांगी साकिन गरदन खेड़ी ने खसरा नं. 313 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र प्रार्थीगण से क्रय की थी। उक्त विवादित आराजी में पूर्व प्रचलित रास्ते को प्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा सरपंच, ग्रम पंचायत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 27-03-2000 को जरिये पत्र नायब तहसीलदार अवगत कराया कि विवादित रास्ता खुलवाने बाबत पंचायत कोरम का निर्णय एकमत नहीं होने से पंचायत फैसला करने असमर्थ रही है। प्रकरण नायब तहसीलदार को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। अप्रार्थी सीताराम द्वारा भी दिनांक 07-08-2000 को रास्ता खुलवाने बाबत एक प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार, सुनेल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विवादित रास्ते के संबंध में पटवारी हल्का से रिपोर्ट मांगी गयी। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.08. 2000 मय नक्शा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसका पूर्ण विवेचन व परीक्षण करने के उपरांत नायब तहसीलदार, द्वारा दिनांक 20.12.2000 को निर्णय पारित करते हुये प्रार्थीगण को पाबंद किया कि पूर्व प्रचलित रास्ते को ना रोके तथा अप्रार्थीगण को आने जाने में अवरोध ना डाले। नायब तहसीलदार, को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-09-1989 के द्वारा तहसीलदार पर अधिरोपित शक्तियां जो नायब तहसीलदार को प्रदत्त है, का उपयोग करते हुये सुखाधिकार के तहत उक्त निर्णय पारित किया गया। यहां यह उल्लेखनीय है कि नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर कोई नया रास्ता स्वीकृत नहीं किया

गया। नायब तहसीलदार को सुखाधिकार के तहत पूर्व प्रचलित रास्ते को खुलवाये जाने के अधिकार राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28-09-1989 द्वारा प्राप्त है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 20.12.2000 को न्यायालय जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा भी उक्त कथन वर्णित करते हुये अपने निर्णय दिनांक 29.12.2004 से यथावत रखा गया है। यहां यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि रास्ते के प्रकरण में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नया रास्ता स्वीकृत करने बाबत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है एवं नया रास्ता स्वीकृत करने का अधिकार उक्त धारा के तहत उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। परन्तु पूर्व प्रचलित रास्ते को रोके जाने व उसे अवरूद्ध करने तथा उसमें से आने जाने में अवरोध किये जाने के संबंध में सुखाधिकार के तहत प्रकरण को निर्णित करने बाबत ग्राम पंचायत, तहसीलदार/नायब तहसीलदार को अधिकार प्राप्त है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निर्णय व समवर्ती निष्कर्ष पारित किये गये जिसमें हम किसी प्रकार हस्तक्षेप करना विधिसंगत नहीं समझते है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा न्यायायल जिला कलेक्टर, झालावाड द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.12.2004 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजीत सिंह राजावत)
सदस्य

निगरानी / टीए/665/ 2005 / झालावाड
भंवरलाल बनाम सीताराम